कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना

(प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास प्रभाग)

अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ पथ (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना–800014
E-mail-ccfhrdbihar@gmail.com

आदेश

स्था०(सी०)–33 / 2024– 97 दिनांक :– 11 / 07 / 2025

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–37 / 2023 दिनांक–01.09.2023 के आलोक में वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त लिखित एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन के उपरान्त दिनांक–06.08.2024 को संयुक्त रूप से 116 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार हेतु कुल–57 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी।

2. निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन जाँचोपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त है, को बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वाहन चालक के पद पर Level-2 (19900–63200) के वेतनमान में अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	आवेदन	संयुक्त मेधा क्र०	अभ्यर्थी का नाम / पता	लिंग	चयन कोटि / कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
1	DR003808	26	**श्री निलेश कुमार,** पिता–श्री विश्वनाथ राय, ग्राम+पो०–बस्ती जलाल, थाना–दिघवारा, जिला–सारण, बिहार, पिन–841221	पुरूष	पिछड़ा वर्ग (सामान्य)	15.05.1995	
2	DR019366	71	**श्री विशाल कुमार,** पिता– श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, ग्राम+पो०–बुढ़वल, थाना–काराकाट, जिला–रोहतास, बिहार, पिन कोड–802214	पुरूष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	05.01.1996	

3. नियुक्त वाहन चालकों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4. यह नियुक्ति बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के अंतर्गत की जा रेही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

5. बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वाहन चालक के रूप में 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर वाहन चालक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोष जनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक– 31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वाहन चालकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/स्वीकृत त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(सुरेन्द्र सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– स्था०(सी०)33/2024–HRD/ दिनांक :–......./...../2025

प्रतिलिपिः–ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सी०डी० एवं अतिरिक्त दो प्रतियों के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे आगामी राजपत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
मुख्य वन संरक्षक
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– स्था०(सी०)33 / 2024–HRD/ दिनांक :–......../....../2025

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / सभी मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार / सभी वन संरक्षक, बिहार / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
मुख्य वन संरक्षक
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– स्था०(सी०)33 / 2024–HRD/ दिनांक :–......../....../2025

प्रतिलिपि:–उपरोक्त सभी नवनियुक्त वाहन चालकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से अपना योगदान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0 / –
मुख्य वन संरक्षक
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– स्था०(सी०)33 / 2024–HRD/365 दिनांक :–11/07/2025

प्रतिलिपि:–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को अविलम्ब विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

(हस्ताक्षर) 11/07/25

मुख्य वन संरक्षक
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास
बिहार, पटना।